प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन, मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में पांच राज्यों कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए 'दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना' के कार्यान्वयन पर निष्पादन लेखापरीक्षा के परिणाम शामिल हैं। इस रिपोर्ट में उल्लिखित लेखापरीक्षा निष्कर्ष वे हैं जो अप्रैल 2012 से मार्च 2017 की अवधि में नमूना लेखापरीक्षा के दौरान पाए गए।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप लेखापरीक्षा की गई है।